(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 385–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–1–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 54/अ6अ/2013–14.

अनन्त प्रसाद पिता रामकृपाल ब्रा0
निवासी ग्राम खारा तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0
——— आवेदक

विरूद्ध

नारायणदास पिता रमाकांत ब्रा0
निवासी ग्राम खारा तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0
———अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23 मई 2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–1–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक अन्नत प्रसाद ने एक आवेदन वारसाना नामान्तरण एवं अभिलेख दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 109, 110, 115 सह पठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता मौजा खारा पटवारी हल्का छदहना तहसील जवा स्थित आराजी नम्बर 229/346 रकवा 5.500 एकड़ के संबंध में तहसीलदार जवा के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार जवा ने आदेश दिनांक 30–4–13 के द्वारा आवेदक का नाम नामांतरण स्वीकृत कर

अभिलेख में प्रविष्टी अंकित करने के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष म्याद अधिनियम की धारा 5 के साथ अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक ने उपस्थित होकर अनावेदक हितबद्ध पक्षकार नहीं होने एवं प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 19–01–2015 के द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त की तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने निगरानी मेमो में उठाये आधार पर निर्णय करने का अनुरोध किया। निगरानी मेमों में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि प्रश्नाधीन भूमि के 1/3 हिस्से पर मौके से काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा हूँ। उक्त भूमि का उसके या उसके पिता द्वारा कभी भी विकय पत्र या दान पत्र अनावेदक के पक्ष में नहीं किया। अवैध प्रविष्टी के आधार पर अनावेदक को किसी प्रकार का हक प्राप्त नहीं होता है। अवैधानिक प्रविष्टि शून्य प्रभाव रखती है जिसका सुधार कभी भी किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश उचित है। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा बिना हितबद्ध पक्षकार के समयबाधित अपील प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक की आपत्ति को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा जाये।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा रिकार्ड के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक द्वारा तहसीलदार जवा के आदेश दिनांक 30–4–13 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत

की गई। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति को इस आधार पर निरस्त किया है कि संहिता के अधीन पारित किसे भी अंतिम आदेश के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में आपत्ति निराधार पाये जाने से निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का पूर्ण विवेचना उपरांत निराकरण नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की आपत्ति का सकारण निराकरण करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी ने म्याद अधिनियम की धारा 5 एवं अंतिम तर्क एक साथ सुनवाई हेतु भी प्रकरण नियत करने में त्रुटि की है। किसी न्यायालय को सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु का निराकरण करना चाहिए तत्पश्चात ही अंतिम सुनवाई हेतु प्रकरण नियत किया जाना चाहिए। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में प्रकिया एवं नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन परिलक्षित होता है। दर्शित परिस्थतियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19–01–2015 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्ति एवं धारा 5 पर सकारण आदेश पारित करें।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर